भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4264

उत्तर देने की तारीख 01 अप्रैल, 2026

बुधवार, 11 चैत्र, 1948 (शक)

एनएसक्यूएफ-संरेखित अर्हताएं

4264. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम (एनपीएआई) कौशल फ्रेमवर्क अधिसूचित होने के बाद से ऑरेंज इकोनॉमी (डिजिटल कंटेंट, एवीजीसी और ई-स्पोर्ट्स) के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप विकसित की गई अर्हताओं की संख्या कितनी हैं;

(ख) अल्पकालिक प्रमाणपत्रों को मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री में क्रेडिट स्टैकिंग करने में सक्षम बनाने हेतु ऐसे डिजिटल माइक्रो-क्रेडेंशियल्स को स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) में एकीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या यूजीसी/एआईसीटीई के समन्वय से कोई क्रेडिट हस्तांतरण समतुल्यता या शैक्षणिक मान्यता ढांचा अधिसूचित किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के जरिए देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम (एनपीएआई) कौशल विकास रूपरेखा की अधिसूचना के बाद, ऑरेंज इकोनॉमी क्षेत्र में डिजिटल सामग्री निर्माण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम डिजाइन और जनरेटिव एआई जैसे उभरते क्षेत्रों में कुल आठ (08) राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप योग्यताएं विकसित की गई हैं। ये योग्यताएं उद्योग-संबंधी कौशल विकास को बढ़ावा देने और एनएसक्यूएफ इको सिस्टम के भीतर प्रगति को सुगम बनाने के लिए अल्पावधि, क्रेडिट-आधारित सूक्ष्म प्रमाण पत्रों के रूप में तैयार की गई हैं।

राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस)/माइक्रो-क्रेडेंशियल (एमसी) मापने योग्य को परिभाषित करता है कार्यस्थल संबंधी दक्षताएं, ज्ञान और कौशल केंद्रित, लचीली शिक्षण इकाइयों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य कौशलोन्नयन, पुनः कौशल, अंतर-क्षेत्रीय कौशल विकास और विशिष्ट उद्योग आवश्यकताओं को पूरा करना है, और इनकी अवधि 7.5 घंटे से शुरू होती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय ऋण ढांचा (एनसीआरएफ) के तहत उचित प्रावधान किए गए हैं ताकि एनओएस/एमसी में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उम्मीदवारों द्वारा अर्जित क्रेडिट को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) में संग्रहीत किया जा सके, और इसका उपयोग उच्च स्तरीय शैक्षिक या कौशल पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सके।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा कोष (एनसीआरएफ) स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सीखने के प्रमाणन, संचय, हस्तांतरण और मान्यता को सक्षम बनाता है। एनसीआरएफ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अप्रैल 2023 में अधिसूचित किया गया था और बाद में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा 12 मई 2023 को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास प्रणाली के भीतर कार्यान्वयन के लिए अपनाया और अधिसूचित किया गया था।

इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) ने पाठ्यक्रम खोज, नामांकन, मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए एक एकीकृत डिजिटल इंटरफ़ेस प्रदान करके कौशलीकरण के अवसरों तक पहुंच में सुधार किया है। कई केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और राष्ट्रीय डिजिटल प्रणालियों के साथ एकीकरण के माध्यम से, यह प्लेटफॉर्म विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं में कौशल विकास कार्यक्रमों तक निर्बाध, सुरक्षित और सत्यापित पहुंच को सक्षम बनाता है। डिजिटल रूप से सत्यापित प्रमाणपत्रों और सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड जारी करने के माध्यम से मूल्यांकन और प्रमाणन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को उम्मीदवारों और प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा तेजी से अपनाया जा रहा है, जिससे कौशलीकरण कार्यक्रमों की निगरानी और कार्यान्वयन को मजबूत करते हुए, कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से बड़े पैमाने पर कौशल विकास, प्रमाणन और जॉब के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिल रही है।
